गया, समाहरणालय, गया

(जिला राजस्व शाखा)

सैरात बन्दोवस्ती की अल्पकालीन आम सूचना वर्ष 2021–22

सर्व साधारंण को सूचित किया जाता है कि गया जिला अंतर्गत विभिन्न हाट/बाजार की बन्दोवस्ती खुली डाक द्वारा सैरात के सामने अंकित तिथि को समाहर्ता के सभा कक्ष में समाहर्ता/अपर समाहर्ता, गया की उपस्थिति में पूर्वाहन 12.00 बजे की जाएगी। कॉलम–5 में अंकित तिथि को खुली डाक की प्रथम तिथि निर्धारित है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सैरात बन्दोवस्ती नहीं की जा सकी तो कॉलम–6 में अंकित दूसरी तिथि को खुली डाक होगी। यदि कॉलम–6 में अंकित तिथि को बन्दोवस्ती नहीं हो सकी तो पुनः कॉलम–7 में अंकित तीसरी तिथि को खुली डाक कराई जाएगी।

क्रम सं0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	अग्रधन की राशि	डाक की निर्धारित प्रथम तिथि	डाक की निर्धारित दूसरी तिथि	डाक की निर्धारित तीसरी तिथि
1	2	3	4		5	6	7
1	फतेहपुर	डुमरीचट्टी हाट बाजार	11,06,772/–	221354/–	12.04.21	15.04.21	17.04.21
2	इमामगंज	रानीगंज हाट बाजार	6,48,819/–	129764/–	12.04.21	15.04.21	17.04.21

डाक की शर्ते

1 डाक प्रारम्भ होने के पूर्व डाक वक्ता को सुरक्षित जमा राशि का 20 प्रतिशत अग्रधन के रूप में समाहर्त्ता, गया के नाम पर बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा।

2 डाक में भाग लेने वाले प्रत्येक डाक वक्ता को परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत दो वर्षो का ITR रिटर्न की छायाप्रति, बैंक डिमांड ड्राफ्ट एवं पासपोर्ट साईज का फोटो आवेदन के साथ जमा करना होगा।

3 डाक में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति डाक तिथि के दो दिन पूर्व कार्यालय अवधि में आवेदन सभी स्व–अभिप्रमाणित कागजातो के साथ कार्यालय में जमा करना होगा।

4 बन्दोवस्ती की सूचना जिला के बेवसाईट gayanic.in पर भी देखा जा सकता है।

5 आवेदनकर्ता को स्वयं डाक में भाग लेना होगा। निबंधित प्रतिष्ठान के मामले में अधिकृत प्रतिनिधि डाक में भाग ले सकेंगें।

6 डाक वक्ता को वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा।

7 डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को डाक की 50% राशि तुरन्त जमा करना होगा शेष राशि अगले दिन जमा करना होगा एवं राशि जमा करने का साक्ष्य NR के रूप में देना होगा। ऐसा नहीं करने पर अग्रधन की राशि जप्त करते हुए द्वितीय उच्चतम डाकवक्ता को अवसर दिया जायेगा। यह नियम द्वितीय एवं तृतीय डाक वक्ता पर भी लागू होगा।

8 यदि पूर्व के बन्दोवस्तदार डाक में भाग लेते हैं तो पूर्व की बकाया राशि रहित प्रमाण पत्र संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त कर डाक के समय समर्पित करना होगा। डाकवक्ता के विरूद्व सरकार का कोई वसूलनिय राशि बकाया नहीं है संबंधी शपथ पत्र देना होगा।

9 एकरारनामा करने के पश्चात् सैरात टॉल वसूली का अधिकार उच्चतम डाक वक्ता को दिया जाएगा।

10 हाट/बाजार/मेला टॉल की वसूली सरकारी नियमों के अनुकूल एवं निर्धारित दर पर करनी होगी। टॉल वसूली के सबूत में बन्दोवस्तधारी को स्वयं के खर्च से मुद्रित रसीद देना होगा।

11 सैरात बन्दोवस्ती बिना कारण बताए स्थगित/रद्द करने/तिथि बढाने/शर्तो का रूपलेखन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

12 उच्चतम डाक वक्ता को स्टाम्प शुल्क– 06%/निबंधन शुल्क– 02% स्टॉम्प शुल्क की अधिनियम की धारा के अन्तर्गत स्वयं वहन करना होगा।

13 जो सैरात जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बन्दोवस्त किया जायेगा।

14 सैरात बन्दोवस्ती वितीय वर्ष 2021–22 के लिए की जा रही है।

15 किसी भी प्रकार की वसूली में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होने पर बन्दोवस्ती की राशि में छूट नही दी जायेगी।

16 इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त शर्तो के अधीन निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते है।

26.03.2021

समाहर्ता, गया।

ज्ञापांक 1198/रा० गया, दिनांक 26/03/2021 ई०।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता, बिहार राज्य को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ मगध प्रमण्डल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपिः– मत्स्यजिवी सहयोग समिति लिमिटेड, मीन भवन, बेली रोड पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला के बेवसाईट पर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, नगर निगम, गया को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार के कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार के कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला नजारत उप समाहर्त्ता गया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि डाक तिथि के दिन नाजिर रसीद के साथ संबंधित नाजीर को उपस्थित होने हेतु निदेशित करेंगें।

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, फतेहपुर/इमामगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार का तामिला प्रतिवदेन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें एवं उक्त तिथि को नाजीर रसीद के साथ अंचल नाजीर को डाक की राशि प्राप्त करने हेतु प्रतिनियुक्त करेगें।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शेरघाटी/बोधगया/टिकारी को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे इसे व्यापक रूप से प्रचार प्रसार अपने स्तर से करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/अंचल अधिकारी, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः– निदेशक सूचना जन सम्पर्क, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिला एवं राज्य स्तर के कम से कम दो मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

26.03.2021

समाहर्ता, गया।